कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला बुरहानपुर

दूरभाष क02 07325–242158 का. E-mail-ddsw_bpr@rediffmail.com

विज्ञप्ति

क्रमांक /स्था./जि.वि.पुन.के./2023/623 बुरहानपुर दिनांक 04/09.2023

उपसचिव मध्यप्रदेश शासन सामाजिक एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/2475/1306216/23/26–2 भोपाल दिनांक 23.08.20233 में प्रदत्त निर्देशों के पालन में बुरहानपुर जिले में भारत सरकार की नवीन गाईड अनुसार 01.04.2022 की गाईड अनुसार जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र जिला बुरहानपुर में निम्नानुसार रिक्त पदों पर एक वर्षीय संविदा नियुक्ति की पदपूर्ति हेतु नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैः–

क्र.	पदनाम	पद संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	स्वीकृत मानदेय प्रतिमाह
1	क्लीनिकल साईक्लोजिस्ट/साइक्लोजिस्ट	01	**क्लीनिकल मनोचिकित्सक** **क.** क्लीनिकल मनोचिकित्सा में एम.फिल **ख.** क्लीनिकल मनोचिकित्सों में व्यावसायिक डिप्लोमा। **पुनर्वास मनोचिकित्सा** क. पुनर्वास मनोचिकित्सा में एम.फिल. ख. पुनर्वास मनोचिकित्सा में ग्रेजुएट पोस्ट डिप्लोमा (पीजीडीआरपी)	20500
2	सीनियर प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट	01	आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स (बीपीओ) में स्नातक	20500
3	प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट (टेक्निशियन)	01	पी एंड ओ में डिप्लोमा या 03 साल के अनुभव के साथ पी एडं ओ में प्रमाण पत्र	16,000
4	मोबिलिटी इन्स्ट्रक्टर	01	दसवी गतिशीलता में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पात्रताः अधिमानत गतिशीलता विज्ञान में स्नातक (बी.एम.एस.सी) **या** दृष्टि बाधिता में डी.एड. विशेष शिक्षा/बी.एड.विशेष शिक्षा	14500
5	वोकेश्नल काउंसलर कम कम्प्यूटर असिस्टेंट	01	व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (डीवीआर) /बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवास्ड डिप्लोमा एडीसीजीसी/पुनवार्स विज्ञान में स्नातक	14500
6	ट्रान्स डिसिप्लिनरी स्पेशल एडुकेटर (एम.आर)	01	दो पदा के लिये पात्रता (1) श्रवण बाधिता में डीईडीएसई/बीईडीएसई (2) बीआई / आईडी /सीपी/एएसडी/एमडी/डीबी/एमएलटी में डीईडीएसई/बीईडीएसई	16000

2

Ddrc 2017-18

नियुक्ति संबंधी शर्ते:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर एक वर्ष के लिये रहेंगी, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। एक वर्ष पश्चात् सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने पर समिति पुनः सेवा में वृद्धि कर सकेंगी।
2. चरित्र सत्यापन में अयोग्य पाए जाने पर बिना सूचना के नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।
3. जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में अयोग्य घोषित किये जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जावेंग।
4. नियुक्त व्यक्ति के शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ संबंधी प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की त्रृटि एवं गलत पाये जाने पर सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी।
5. नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस से भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जारी आदेश स्वमेव निरस्त माना जाकर, प्रतिक्षा सूचि में वरियता अनुसार अभ्यार्थी को नियुक्ति प्रदान की जावेंगी।
6. प्रतिभागियों का चयन शैक्षाणिक योग्यता मे प्राप्त प्राप्ताकों एंव अनुभव के आधार पर तय की गई मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा। शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के आधार पर गणना की जाकर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
7. सभी पदों हेतु जीवित रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है।
8. चयन सूची की वैद्यता सामान्तयः 01 वर्ष के लिए वैद्य रहेगी।
9. चयन प्रकिया में चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
10. संविदा पर नियुक्त संविदाकर्मी संविदा के दौरान संविदा नियुक्ति छोडना चाहता है उसे संविदा त्याग करने के 30 दिवस पूर्व का नोटिस देना अनिवार्य होगा अथवा एक माह का पारिश्रमिक मानदेय पदस्थी कार्यालय में जमा करना होगा।
11. संविदा पर नियुक्त संविदाकर्मी को 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संबंधित नियोक्ता के साथ करारनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उक्त पद एकांकी होने से आरक्षण प्रावधानों से मुक्त रहेंगे। रिक्त पद पूर्णत संविदा है, शासन पक्ष के विरूद्व न्यायालय में कोई प्रकरण प्रस्तुत करने पर स्थिति शून्य मानी जावेगी। आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र मय फोटो तथा समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) सहित विज्ञापन प्रसारित होने के **15.09.2023** तक (कार्य दिवसों में) कार्यालयीन समय में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बुरहानपुर में संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के रूम नंबर 45 में प्रस्तुत कर सकते है। लिफाफे पर जिस पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख करें। नियत अवधि के पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेंगा।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित।

सचिव
जिला दिव्यांग कल्याण तथा विकास समिति
जिला–बुरहानपुर
एवं उपसंचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला बुरहानपुर